

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2184/2013)/अलेसे-III/5064

दिनांक :- 04.02.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 04 एवं 05 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	कर्तव्य अवधि (एपीओ अवधि के पूर्ववर्ती राजपत्रित अवकाश की अवधि)	
1	2	3	4	5	6
1	11915	श्री सुनील, कनिष्ठ लेखाकार	दि. 23.09.2019 से 30.09.2019	दि. 22.09.2019	कोषालय, पाली


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2184/2013)/अलेसे-III/5064

दिनांक :- 04.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका कार्यालय कोषाधिकारी, पाली को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. कोषाधिकारी, पाली को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. श्री सुनील, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, पाली।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)